

## प्रेस नोट दिनांक 15.01.2021 जनपद मेरठ

### थाना सररपुर पुलिस द्वारा गौकशी कर रहे 02 शातिर गौतस्करों को पुलिस मुठभेड के दौरान किया गिरफ्तार

दिनांक 15.01.2021 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद – मेरठ के कुशल मार्ग दर्शन व पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण जनपद –मेरठ व क्षेत्राधिकारी महोदय सरधना जनपद – मेरठ के कुशल प्रवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक सररपुर श्री अरविन्द कुमार के नेतृत्व में थाना सररपुर पुलिस द्वारा करनावल खिवाई मार्ग पर गौकशी कर रहे दो बदमाशों को पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार किया , पुलिस कार्यवाही के दौरान एक अभियुक्त के पैर में गोली लग गयी तथा मौके से करीब 90 किग्रा0 गौमांश एवं गौवंशीय अवशेष तथा गौकशी के औजार एवं तमंचा व कारतूस बरामद हुए ।

दिनांक 15.01.2021 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद- मेरठ के कुशल मार्ग दर्शन व पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण जनपद – मेरठ व क्षेत्राधिकारी महोदय सरधना जनपद – मेरठ के कुशल प्रवेक्षण में श्री अरविन्द कुमार प्रभारी निरीक्षक सररपुर के कुशल नेतृत्व में थाना सररपुर पुलिस को रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्रान्तर्गत खिवाई – करनावल मार्ग पर एक खेत में कुछ लोगों द्वारा गौकशी की जा रही है, गौकशी की सूचना पर पुलिस टीम पहुँची तो गौकशों द्वारा पुलिस को देख , पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी , जिसकी सूचना कन्ट्रोल रूम को देकर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाकर , जवाबी कार्यवाही करते हुए पुलिस मुठभेड के दौरान थाना सररपुर पुलिस द्वारा दो शातिर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया , पुलिस कार्यवाही में एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गयी , घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी सररपुर भेजा गया, मौके से करीब 90 किग्रा0 गौमांश तथा गौकशी के औजार – छुरी बुगदा इत्यादि तथा एक अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर , दो जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए , गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है, अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा – 307 भादवि, 25 आर्म्स एक्ट एवं 3/5/8 गौवध अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1- सफात उर्फ सफाक (उम्र करीब – 30 वर्ष ) पुत्र आबिद निवासी कस्बा खिवाई , थाना - सररपुर मेरठ (घायल)
- 2- फजरू (उम्र करीब – 55 वर्ष ) पुत्र उम्मेद निवासी कस्बा खिवाई , थाना सररपुर मेरठ ।

### बरामदगी का विवरण-

1. एक तमंचा नाजायज 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर ।
2. गौकशी करने के औजार – छुरी, बुगदा ।
3. करीब 90 किग्रा0 गौमांश एवं अन्य गौवंशीय अवशेष ।

### अभियुक्त सफात उर्फ सफाक का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 366/17 धारा – 457,380 भादवि, थाना – रोहटा मेरठ ।
2. मु0अ0सं0- 411/17 धारा – 379,411 भादवि, थाना – रोहटा मेरठ ।
3. मु0अ0सं0- 508/17 धारा – 147,148,149,307 भादवि , थाना – सररपुर मेरठ ।
4. मु0अ0सं0- 510/17 धारा - 25 आर्म्स एक्ट, थाना – सररपुर मेरठ ।

### अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना सररपुर पर पंजीकृत अभियोगों का विवरण –

1. मु0अ0सं0- 15/20 धारा – 307 भादवि थान सररपुर मेरठ ।
2. मु0अ0सं0- 16/20 धारा – 25 आर्म्स एक्ट थाना सररपुर मेरठ ।
3. मु0अ0सं0 -17/20 धारा- 3/5/8 गौवध अधि0 थाना सररपुर मेरठ ।

**प्रेस नोट(थाना जानी मेरठ) दिनांक 15.01.2021**

**थाना जानी पुलिस द्वारा दो वारण्टी गिरफ्तार ।**



श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मेरठ द्वारा अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये गये अभियान व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सरधना मेरठ के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक श्री ऋषिपाल सिंह के नेतृत्व में मय टीम के साथ वारण्टी अखलाक पुत्र फीकू कुरैशी निवासी दुग्ध प्लान्ट के पास धौलडी थाना जानी मेरठ सम्बन्धित वाद संख्या 1137/2019 व मु0अ0सं0 429/2011 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 चालानी थाना जानी मेरठ को समय करीब 22.40 बजे दिनांक 14.1.21 बजे वारण्टी के मस्कन से गिरफ्तार किया गया तथा वारण्टी अभियुक्त खालिद पुत्र अब्दुल रहमान नि0 सिसौला कला थाना जानी मेरठ सम्बन्धित वाद संख्या 17692/2019 तथा मु0अ0सं0 562/2018 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना दौराला मेरठ को समय करीब 22.30 बजे दिनांक 14.1.21 को वारण्टी के मस्कन से गिरफ्तार किया गया । वारण्टी अभियुक्त को मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

- 1- अखलाक पुत्र फीकू कुरैशी निवासी दुग्ध प्लान्ट के पास धौलडी थाना जानी मेरठ वाद संख्या 1137/2019 व मु0अ0सं0 429/2011 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 चालानी थाना जानी मेरठ ।
- 2- खालिद पुत्र अब्दुल रहमान नि0 सिसौला कला थाना जानी मेरठ वाद संख्या 17692/2019 तथा मु0अ0सं0 562/2018 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना दौराला मेरठ ।

**अवैध शस्त्र सहित अभियुक्त गिरफ्तार**

**थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा** नंगला बट्टू रोड से अभियुक्त मनीष पुत्र सोहनलाल शर्मा नि0 म0नं0 276 नंगला बट्टू थाना सिविल लाईन मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूश 315 बोर बरामद होना । अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिविल लाईन पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

**थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा** नंगला बट्टू रोड से अभियुक्त रितेश पुत्र राकेश कुमार नि0 नंगला बट्टू थाना सिविल लाईन मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूश 315 बोर बरामद होना । अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिविल लाईन पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।